फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

जसवीर सिंह आदि बनाम कुलविन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 45 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
15.03.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 01 ने स्वयं उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रार्थी को इकतरफा सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा रामसरा तहसील नोहर के चक 28 एन.टी.आर. के खाता संख्या 60/59 की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के प.नं. 323/421 के मु.नं. 51 के किला नं. 15,16,25, प.नं. 323/422 के मु.नं. 56 के किला नं. 5/1 व 5/2, 6,14,15 व प.नं. 324/421 के मु.नं. 52 के किला नं. 10,11,12,13,18,19,20,21,22,23 तथा प.नं. 324/422 के मु.नं. 55 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/2, 3/1, 3/2 व 8,9,10,12 हैक्टेयर वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 17/04/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
17/4/23	वकील प्रार्थीगण उपस्थित । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] पी.ओ. सहायक .... पत्रावली दि0 .... को पेश हो ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प रामसरा .... में पेश हो।	
6/5/23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 में पेश रामसरा .... राजीनामा पेश नहीं। उभयपक्ष उपस्थित नहीं। पत्रावली 18/7/23 को पेश हो।	
18/7/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब .... मुख्यालय से बाहर .... पत्रावली दि० 7/8/23 ....को पेश हो।	
7/8/23	वकील फरीकैन उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/9/23 को पेश हो।	
19/9/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब ....अन्य कार्य में व्यस्त.... पत्रावली दि० 20/11/23..को पेश हो।	
20/11/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त.... पत्रावली दि० 18/12/23..को पेश हो।	
30/11/2023	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मुतनाजा प्रार्थना पत्र में समान व गैर सामानात का आपस में राजीनामा हो चुका है। इसलिए प्रार्थी दावा चलाना नहीं चाहता है। अतः अनुवादी प्रार्थना पत्र को आज की तारीख पेशी में लिया जाकर खारिज फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली बहस पर विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 18/12/2023 मुकर्रर है। अतः प्रार्थना पत्र ... न्याय हित में स्वीकार किया जाता है ... बनाम कुलविन्दर ... 45/2023 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	जसविंदर 1/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner